

37 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

(सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पद पर भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित किया जाता है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का पद राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का है तथा इसका वेतन मैट्रिक्स रु. 38,100 (स्तर-9) होता है।

❖ शैक्षणिक अर्हता :-

1. आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना चाहिये।

टीप :- 1. उपर्युक्त आवश्यक अर्हता आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। आवेदन करने के बाद की तिथि के शैक्षणिक अर्हतायें मान्य नहीं होती हैं।

2. **नियुक्ति हेतु अनर्हता :-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 में आवेदकों के लिये सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु अनर्हता निर्धारित की गई है। यदि कोई आवेदक इन अनर्हताओं में आता है तो वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

❖ **आयुसीमा :-** 21 वर्ष से 35 वर्ष तक (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 18.01.2024 में दिये गये निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिये अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष)

टीप :- 1. छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार उच्चतम आयुसीमा में अजा/अजजा/अपिव के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष, महिला एवं दिव्यांगअभ्यर्थियों को 10 वर्ष तथा भूतपूर्व सैनिक एवं कार्यरत शासकीय सेवकों को नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। सभी प्रकार के छूट का लाभ लेने के बाद आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

2. छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सभी श्रेणी के आवेदकों को अनारक्षित श्रेणी में माना जाता है तथा उन्हें आयुसीमा संबंधी एवं अन्य छूट का लाभ प्राप्त नहीं होता है। अन्य राज्य के आवेदकों के लिये अधिकतम आयुसीमा 30 वर्ष होती है।

❖ **आवेदन प्रक्रिया :-** छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करना होता है। सिर्फ ऑनलाईन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाते हैं।

❖ **परीक्षा योजना :-** परीक्षा 2 स्तरों में आयोजित की जाती है -

प्रथम स्तर - लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार)

द्वितीय स्तर - साक्षात्कार

प्रथम स्तर (लिखित परीक्षा) - लिखित परीक्षा में निम्नानुसार दो भाग होते हैं -

1. **भाग 1 -** यह भाग सामान्य अध्ययन का होता है। इस भाग में दो-दो अंक के कुल 150 प्रश्न होते हैं। इन 150 प्रश्नों में लगभग 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के लगभग 75 प्रश्न छत्तीसगढ़ से संबंधित तथा लगभग 25 प्रश्न बुद्धिमता परीक्षण का होता है। 300 अंक के इस प्रश्न पत्र की समय अवधि 2.30 घंटा होती है।

2. **भाग 2 -** यह भाग विधि से संबंधित होता है। इसमें दो-दो अंक के कुल 150 प्रश्न होते हैं। इन 150 प्रश्नों में लगभग 75 प्रश्न भारत के संविधान एवं वृहद् अधिनियम से संबंधित होते हैं तथा लगभग 75 प्रश्न लघु अधिनियम के होते हैं। 300 अंक वाले इस प्रश्न पत्र की अवधि 2.30 घंटे होती है।

टीप :- अंकों की गणना - उपर्युक्त दोनों भाग बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिये जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिये 2 अंक प्रदान किया जाता है। गलत प्रश्नों के लिए ऋणात्मक मुल्यांकन का प्रावधान होता है।

न्यूनतम अर्हक अंक - लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के आवेदक को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अजा/अजजा/अपिव के आवेदकों के लिये यह न्यूनतम अर्हक अंक 23 प्रतिशत होता है।

न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के दोनों भागों के कुल प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूची साक्षात्कार हेतु तैयार की जाती है।

द्वितीय स्तर (साक्षात्कार) – प्रथम चरण में अर्हक घोषित किये गये आवेदकों का संवर्गवार वरीयता सूची तैयार की जाती है तथा प्रत्येक पद के विरुद्ध 3 आवेदकों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाता है। साक्षात्कार 30 अंक का होता है। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिये कोई न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है।

❖ **चयन प्रक्रिया :-** आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, लिखित परीक्षा (कुल अंक 300) तथा साक्षात्कार (कुल अंक 30) के कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता है।

❖ **पाठ्यक्रम :-**

प्रश्न पत्र प्रथम (सामान्य अध्ययन) भाग-1 (सामान्य अध्ययन) – इसमें भारत के इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समकालीन घटनायें, सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान के प्रश्न होते हैं।

छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान – इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, साहित्य एवं कला, जनजातियाँ, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासनिक ढाँचा, मानव संसाधन, समसामयिक घटनायें आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं।

बुद्धिमत्ता परीक्षण – इसमें गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी प्रश्न होते हैं।

भाग-2 (विधि) – 1. भारत का संविधान एवं वृहद् अधिनियम – इसमें भारत के संविधान के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रश्न होते हैं।

2. लघु अधिनियम – इसमें छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, अजा एवं अजजा (अत्याचार निषेध) अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, आयुध अधिनियम आदि सहित कुल 14 अधिनियमों से संबंधित प्रश्न होते हैं।

संपर्क :- उपर्युक्त परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी के लिये उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मनुष्य तीन प्रकार के होते है। निम्न श्रेणी के लोग असफलता की आशंका से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते है, मध्यम श्रेणी के लोग जोश ने आकर कार्य तो प्रारंभ कर देते है लेकिन छोटी सी भी मुश्किल आने पर अपना कार्य छोड़ देते है। उच्च श्रेणी के लोग सोच समझ कर अपना लक्ष्य निर्धारित करते है तथा एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद कितने भी मुश्किल आने पर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते है।

– राजा भर्तृहरि